रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1708] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2009/आश्विन 30, 1931
No. 1708] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2009/ASVINA 30, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2665(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में,—

(क) "न्यूनतम मूल्य" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "उचित और लाभकारी कीमत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड 2 में, उप-खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गग) "गन्ने का उचित और लाभकारी कीमत" से केन्द्रीय सरकार द्वारा खंड 3 के अधीन, समय-समय पर गन्ने के लिए निर्धारित की गई कीमत अभिप्रेत है;'

(ग) खंड 3 में, उप-खंड (1) में, मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

"(छ) जोखिम और लाभ के लिए गन्ना उत्पादकों के लिए युक्ति-युक्त सीमांत;"

(घ) खंड 3क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3.ख. उचित और लाभकारी कीमत से अधिक गन्ने की कीमत नियत करना ।

यदि कोई प्राधिकरण या राज्य सरकार खंड 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत उचित और लाभकारी कीमत से अधिक कोई कीमत नियत करती है तो वह प्राधिकरण या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत उचित और लाभकारी कीमत से अधिक रकम का भुगतान, यथास्थिति, गन्ने के उत्पादकों या गन्ना उत्पादक सहकारी सोसाइटी को करेगी ।"

(ङ) खंड 5क का लोप किया जाएगा;

(च) दूसरी अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 3-4/2009-एसपी-II]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि 1126/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 35(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5-1-1967
2. सा.का.नि. 1591(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17-10-1967
3. सा.का.नि. 945(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18-5-1968
4. सा.का.नि. 1456(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2-8-1968
5. सा.का.नि. 620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 8-4-1973
6. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25-9-1974
7. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12-9-1975
8. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27-10-1975
9. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26-7-1976
10. सा.का.नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13-9-1976
11. सा.का.नि. 815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-9-1976

12. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-12-1976
13. सा.का.नि. 62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2-2-1978
14. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28-3-1978
15. सा.का.नि. 427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 3-7-1981
16. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-2-1982
17. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-9-1983
18. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-11-2000
19. सा.का.नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20-2-2003
20. सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22-3-2004
21. का.आ. 1940(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 10-11-2006
22. का.आ. 1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 31-7-2007
23. का.आ. 2198(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28-12-2007
24. का.आ. 2984(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-12-2008

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 22nd October, 2009

S.O. 2665(E)/Ess Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966,—

(a) for the words "minimum price", wherever they occur, the words "fair and remunerative price" shall be substituted;

(b) in clause 2, after sub-clause (c), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

'(cc) "fair and remunerative price of sugarcane" means the price fixed by the Central Government under clause 3, from time to time, for sugarcane ;'

(c) in clause 3, in sub-clause (1), after item (f), the following item shall be inserted, namely :—

"(g) reasonable margins for the growers of sugarcane on account of risk and profits:";

(d) after clause 3A, the following clause shall be inserted, namely :—

"3B. Price of sugarcane fixed above the fair and remunerative price.

If any authority or State Government fixes any price above the fair and remunerative price fixed by the Central Government under clause 3, such authority or State Government, shall pay the amount, which it fixes above the fair and remunerative price as fixed by the Central Government, to the grower of sugarcane or to the sugarcane growers' cooperative society, as the case may be."

(e) clause 5A shall be omitted;

(f) the Second Schedule shall be omitted

[F. No. 3-4/2009-SP-II]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India Extraordinary *vide* Number G.S.R. 1126/Ess.Com./Sugarcane, dated 16th July, 1966 and subsequently amended vide :

1. G.S.R. 35(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 5-1-1967
2. G.S.R. 1591(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 17-10-1967
3. G.S.R. 945(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 18-5-1968
4. G.S.R. 1456(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 2-8-1968
5. G.S.R. 620(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 8-4-1973
6. G.S.R. 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 25-9-1974
7. G.S.R. 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12-9-1975
8. G.S.R. 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22-10-1975
9. G.S.R. 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26-7-1976
10. G.S.R. 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 13-9-1976
11. G.S.R. 815(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24-9-1976
12. G.S.R. 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9-12-1976
13. G.S.R. 62(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 2-2-1978
14. G.S.R. 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28-3-1978
15. G.S.R. 427(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 3-7-1981
16. G.S.R. 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24-2-1982
17. G.S.R. 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9-9-1983
18. G.S.R. 903(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29-11-2000
19. G.S.R. 113(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 20-2-2003
20. G.S.R. 204(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22-3-2004
21. S.O. 1940(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 10-11-2006
22. S.O. 1309(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 31-7-2007
23. S.O. 2198(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28-12-2007
24. S.O. 2984(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29-12-2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.